"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 498] रायपुर, शनिवार, दिनांक 20 सितम्बर 2014— भाद्र 29, शक 1936

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक 24/चार/वि.स.उप चु./2014/12532.— निर्वाचन का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 67 के अनुसरण में विधानसभा उप चुनाव 2014 के लिए 79-अन्तागढ़ (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित प्रत्याशी संबंधी जानकारी सर्वसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित की जाती है.

हस्ता./-

(निधि छिब्बर)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं पदेन सचिव,
छ.ग. शासन, विधि एवं विधायी (निर्वा.)
कार्य विभाग, छत्तीसगढ़.

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

प्ररूप 21घ

(नियम 64 देखिए)

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन

निर्वाचनों के परिणाम की घोषणा

79-अंतागढ़ (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य की विधानसभा के लिये उप निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री - भोजराज नाग
ग्राम - हिमोड़ा
पोस्ट एवं तहसील - अंतागढ़
जिला - उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)

जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल) द्वारा खड़े किये गये हैं. उस सदन में, श्री विक्रम उसेण्डी के पद त्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गये हैं.

स्थान : **कांकेर**
दिनांक : **20-09-2014**

हस्ता./-

(रिटर्निंग ऑफिसर)
79- अंतागढ़ (अ.ज.जा.)
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र.

CONDUCT OF ELECTIONS RULES, 1961

(Statutory Rules and Order)

FORM 21D

(See rule 64)

(For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested)

Declaration of the result of Election

Under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Bye-Election to The Legislative Assembly of Chhattisgarh State from 79-Antagarh (S.T.) Assembly Constituency

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Shri - BHOJRAJ NAG
Village - HIMODA
Post-Tahsil - ANTAGARH
Distt. - UTTAR BASTAR-KANKER (CHHATTISGARH)

Sponsored by BHARATIYA JANATA PARTY (Recognized Political Party) has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the resignation of Shri Vikram Usendi.

Place : KANKER
Date : 20-09-2014

Sd /-

(Returning Officer)
For, 79-Antagarh (S.T.)
Assembly Constituency.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.